जेपीआर 5-504

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांक/जवि/मुअ/वा/सी-I/एफ.4(210)पार्ट-XVI/प्रे 2439 दिनांक 3.X.08

-: **आदेश** :-

विषय :-ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन हेतु।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान के बजट भाषण 2008-09 में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की घोषणा के अनुरूप तैयार की गई योजना की क्रियान्विति के लिये आदेश संख्या जवि/मुअ/वा/सी-I/एफ.4(210)पार्ट-XVI/प्रे. 1145 दिनांक 29.4.08(जेपीआर5-466) एवं जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. 405 दिनांक 3.5.08 दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इनमें आंशिक संशोधन आदेश संख्या 1708 दिनांक 2.7.08 (जेपीआर 5-481),1934 दिनांक 29.7.08 (जेपीआर 5-485),1978 दिनांक 2.8.08 (जेपीआर 5-486)जारी किये गये थे। एक अन्य आदेश क्रमांक 2119 दिनांक 23.8.08 (जेपीआर 5-493) द्वारा आवेदन स्वीकार करने की तिथि को 31 अक्टूबर 2008 तक बढा दिया गया था।

इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29.7.08 में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति में टी.एस.पी. क्षेत्र में आ रही कठिनाईयों को अवगत कराया गया। इस विषय में विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया,एवम निर्णय की अनुपालना "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" में निम्नलिखित आंशिक संशोधन तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है।

1. T.S.P.क्षेत्र में 50 तक की आबादी वाले छितराये हुए आवेदकों के लिये 3.0 कि.मी. (11 KV&LT Line) एवं 50 से 100 के बीच आबादी वाले आवेदको के लिये 5.0 कि.मी. (11 KV&LT Line)मय उचित क्षमता के सबस्टेशन स्थापित कर विद्युतीकरण विस्तार कार्य किया जावे।
2. राजस्थान में T.S.P क्षेत्र में रह रहे छितराये हुए आवेदकों से प्रार्थना पत्र की राशि 200 रू. प्रति कनेक्शन ली जाव जो लौटायी नही जावेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रू. 3500/- प्रति आवेदक लिए जाने होते थे लेकिन T.S.P क्षेत्र के ऐसे आवेदकों से यह राशि नहीं ली जावे। उक्त राशि लाभान्वित किये गये आवेदकों के आधार परTribal Area Development Depament द्वारा दी जाने पर ही यह बिन्दु संख्या 1 पर प्रस्तावित योजना लागू होगी।
3. T.S.P क्षेत्र में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार करने की समय सीमा अग्रिम आदेशों तक रहेगी।
4. T.S.P क्षेत्र में क्षेत्र में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना की अन्य सामान्य शर्ते यथावत प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से

3.10.08

(एन.एम.सरीन)
मुख्य अभियन्ता (वाण्ज्यि)

E:\MEENA\Ord.doc